<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील संख्या 5038 वर्ष 2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3987 वर्ष 2022 से उद्भूत)

सुनील कुमार ...अपीलकर्ता

बनाम

उ.प्र. राज्य एवं अन्य ...प्रतिवादी (गण)

<u>निर्णय</u>

अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलकर्ता का पिता जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्वीपर) के रूप में विकास खंड कार्यालय खुतम, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, 23.11.2016 को उसका देहावसान हो गया। अपीलकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित कर्मचारी भर्ती नियमावली, 1974 (एतश्मिनपश्चात् '1974 की नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया। नियम 5 इस प्रकार हैः –

> "[5. मृतक के परिवार के किसी सदस्य की भर्ती–(1) यदि इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु हो जाती है और मृतक सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी पहले से ही केंद्र सरकार या

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या राज्य सरकार के अधीन नियोजित नहीं है, उसके परिवार के एक सदस्य जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या राज्य सरकार के तहत कार्यरत नहीं है, को इस उद्देश्य के लिए आवेदन करने पर सामान्य भर्ती नियमों में छूट देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले पद को छोड़कर किसी अन्य पद पर सरकारी सेवा में उपयुक्त रोजगार दिया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति –

(i) पद के लिए विहित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करता है,

(ii) अन्यथा सरकारी सेवा के लिए अर्हित है, और

(iii)सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पांच वर्ष के भीतर रोजगार के लिए आवेदन करता हैः

बशर्ते कि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय सीमा किसी विशेष मामले में असम्यक कठिनाई का कारण बनती है, तो वह मामले पर विचार न्यायोचित ढंग से विचार करते हुए ऐसी आवश्यकता को समाप्त कर सकती है या उसमें छूट दे सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) जहां तक संभव हो सके, ऐसा रोजगार उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु से पहले कार्यरत था।]

[5क. पुलिस/पी.ए.सी. कर्मी जिसकी मृत्यु मई, 1973 में हुई, के परिवार के सदस्य की नियुक्ति –नियम 5 या किसी अन्य नियम में इसके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विपरीत किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रावधान उन बाईस पुलिस या प्रति प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी कर्मियों के परिवार के सदस्यों के मामले में लागू होंगे जिनकी मृत्यु मई, 1973 में उपद्रव के कारण हुई थी, जैसे कि वे इन नियमों के लागू होने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल मृत्यु के मामले में लागू होते हैं।]

3. अपीलकर्ता एक स्नातक है और उसे कंप्यूटर साक्षरता भी प्राप्त है। उसे स्वीपर के पद की पेशकश की गई, जिस पद पर उसके दिवंगत पिता थे। हालांकि, अपीलकर्ता को इस तरह की सलाह दिए जाने पर उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पद ग्रहण नहीं किया और अपना प्रतिनिधित्व दिया जिसके द्वारा उसने पद ग्रहण करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की, जिसका प्रभावी रूप से अर्थ है कि उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी अपीलकर्ता को वर्ग–III पद में समायोजित करने के अनुरोध को फिर से अस्वीकार कर दिया गया। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने विशेष रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मांग की, एक ऐसा पद जो श्रेणी–III के कैडर से आरंभ होता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त पद नियम 5 के तहत अनुशंसित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, इस संबंध में नियम अपीलकर्ता के दावे के लिए कोई बाधा नहीं था। हालांकि, प्रतिवादी ने नियम 5 में 'उपयुक्त रोजगार' शब्दों की अपनी समझ को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया। इससे फिर से एक और रिट याचिका दाखिल की गयी। यह उक्त रिट याचिका ही अंततः अपीलकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय के फैसले के रूप में समाप्त हुई।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4. हमने अपीलकर्ता की ओर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ,और प्रतिवादी सं.– 1 उ.प्र. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गोयल को सुना।

5. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रेमलता, (2022) 1 एससीसी के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर अपने निर्णय को अनिवार्य रूप से निर्धारित किया है। जिसमें,इसमें कोई संदेह नहीं, कि इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नवत धारित किया है :–

> "11.उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से , उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 1974 के विनियम के नियम 5 का गलत अर्थ लगाया है और कहा है कि सेवाकालीन मृत्यु नियमावली, 1974 के नियम 5 के तहत उपयुक्त पद का अर्थ उम्मीदवार की योग्यता के लिए उपयुक्त कोई भी पद होगा और करुणा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश आश्रित की शैक्षणिक योग्यता पर विचार करके की जाएगी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस तरह की व्याख्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगी।"

6. उन्होंने तर्क दिया है कि यह विचार इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रासंगिक नियमों के रूप में शुरू में वर्णित नियमों को ध्यान में रखे बिना बनाया गया था। जिसे उन्होंने नियमों के रूप में उल्लेख किया है, वह संलग्नक पी–1 से प्राप्त किया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ साथ साथ–साथ निम्नानुसार हैः

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"1. सरकारी कर्मचारियों के उन आश्रितों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, "उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित(सरकारी कर्मचारी) भर्ती विनियम 1974" (संशोधित) परिचालित किया गया। इन विनियमों में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर मृतक के आश्रितों की नियुक्ति की एक प्रणाली है जो समूह सी और समूह डी पदों में पद भरने के लिए है। अब तक इन विनियमों में 11 संशोधन किए गए हैं। मूल विनियम 11 संशोधनों के साथ संलग्न हैं।

2. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में, एक डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2228 (एसएस) वर्ष 2014, प्रकाश अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रूप में दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने 17.04.2014 को आदेश पारित किया था, जिसके पैरा 49 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं।

> क. आवेदन का निस्तारण नौकरी के लिए आश्रित द्वारा आवेदन दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। नियमों के तहत, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इस नियम का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार को वित्तीय संकट से निपटने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है। (शिव कुमार दुबे (उपरोक्त)। इस पृष्ठभूमि में उपयुक्त प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम समय में ऐसे आवेदनों का निस्तारण करे। किसी भी मामले में, आवेदन को तीन महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ख. नियमों के तहत नियुक्ति से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि आवेदक की वित्तीय स्थिति मजबूत है। मृत्यु के समय सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान से इनकार करने का कोई आधार नहीं बनता है।

ग. पदों की अनुपलब्धता नियुक्ति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है।

घ. वर्ग III के पद पर नियुक्ति से केवल इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक वर्ग 3/वर्ग 4 का कर्मचारी था।

ङ. उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए और आवेदक को उसी के अनुरूप नियुक्ति दी जानी चाहिए। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुपयुक्तता के कारण आवेदक द्वारा दावा किए गए पद पर नियुक्ति नहीं देता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कारण दर्ज किए जाने चाहिए।

च. मृतक के आश्रित को विशेष स्थिति या स्थान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित आदेश पारित करना नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर है।

3 इस संबंध में, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के संदर्भ में,माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश, निर्देश का अनुपालन सख्ती से किया जाना आवश्यक है।

7. दूसरे शब्दों में, उनका कथन है कि उक्त नियमों के खंड–2 (घ) के परिशीलन से पता चलता है कि वर्ग–III के पद पर नियुक्ति से केवल इस आधार पर इंकार नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया जाना चाहिए कि मृतक तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उनका कथन है कि यदि इस न्यायालय को इस नियम के अस्तित्व के बारे में विश्वास में लिया गया होता, तो इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जैसा कि पहले से ही देखा गया है, शायद नहीं लिया गया होता। उनकी कथन है कि उपयुक्तता के प्रश्न का निर्णय उस पद के संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं है जो मृतक कर्मचारी द्वारा धारित किया गया था। इस तरह के एक मामले में, जहां अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से अपनी योग्यता के संदर्भ में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का हकदार है, और इससे भी अधिक, यह ध्यान में रखते हुए कि यह ऐसा पद नहीं है जो लोक सेवा आयोग के दायरे में आता है, अपीलकर्ता को समायोजित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। वैकल्पिक रूप से, यह भी कहा गया कि यदि यह न्यायालय उसकी दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो अपीलकर्ता को कम से कम एक स्वीपर के रूप में रोजगार की सुरक्षा दी जा सकती है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी उ.प्र. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गोयल, ने मामले को चुनौती दी और सबसे पहले यह इंगित किया कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तथाकथित नियमों के प्रति किया गया संदर्भ गलत हो सकता है। रिट डब्ल्यू. पी. (सी) 2228 (एसएस) वर्ष 2014, प्रकाश अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार के आधार पर सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से आदेश पारित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय की उचित समझ पर, अपीलकर्ता द्वारा की जाने वाली व्याख्या सामने न आती। वह आगे हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम शशि कुमार, (2019) 3 एससीसी 653 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को हमारे संज्ञान में लायी और तर्क दिया कि अनुकंपा योजना के तहत नियुक्ति का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मतलब भर्ती का स्रोत होना नहीं है। यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, एक सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय खालीपन पैदा हो जाता है और परिवार के वास्तव में जरूरतमंद सदस्यों की मदद करने के लिए उन्हें समय दिया जाता है। यह कभी भी भर्ती का स्रोत बनने के लिए नहीं है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि यद्यपि वर्ग–III और वर्ग–IV पदों के संबंध में नियुक्ति की जा सकती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि जब मृतक कर्मचारी वर्ग–IV काडर पर था, तो आश्रित वर्ग–III नियुक्ति के लिए दावा कर सकते हैं। जहां तक वैकल्पिक कथन का संबंध है, यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने स्वीपर के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना और इससे भी अधिक, उसने इसे अस्वीकार कर दिया और अपीलकर्ता को समायोजित करने के लिए कोई रिक्ति नहीं हो सकती है।

9. यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता का पिता एक स्वीपर के रूप में काम कर रहा था। निःसंदेह, अपीलकर्ता योग्य है (उसके अनुसार) और उक्त अर्थ में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त है। इस मामले में कर्मचारी की मृत्यु बहुत दूर नहीं हुई, अर्थात यह 23.11.2016 को हुई। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां मृत्यु की तारीख और इस न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने के समय के बीच संबंध टूट गया है। हमें इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि मृतक कर्मचारी एक स्वीपर था।

10. साथ ही, जहां तक ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर विचार किए जाने के लिए अपीलकर्ता की पात्रता से संबंधित प्रश्न का संबंध है, यह निःसंदेह श्रेणी III का पद है। अपीलकर्ता का पिता चतुर्थ श्रेणी के पद पर स्वीपर के रूप में काम कर रहा था। हमने प्रेमलता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर ध्यान

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिया है। दूसरे शब्दों में, घोषित की गई विधि इस आशय की है कि नियम 5 में 'उपयुक्त रोजगार' शब्दों को मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। किसी आश्रित द्वारा धारित श्रेष्ठ योग्यता 'उपयुक्त रोजगार' शब्दों की गुंजाइश का निर्धारण नहीं कर सकती।

11. यह स्पष्ट है कि संलग्नक पी–1 सांविधिक नियमों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमें नहीं लगता कि हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। हम इस आयाम को बाधित नहीं कर सकते कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना का पूरा उद्देश्य शोक संतप्त परिवार को तत्काल राहत पहुंचाना है। ऐसी परिस्थितियों में, मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद को ध्यान में रखते हुए 'उपयुक्त रोजगार' शब्दों पर रखे गए अर्थ को अनुचित या गलत नहीं कहा जा सकता है।

12. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, हमें अब कम से कम एक स्वीपर के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता के मामले पर विचार करना चाहिए। यह सच हो सकता है कि अपीलकर्ता को इस मामले में मुकदमा चलाने और किसी विशिष्ट पद के लिए अपने दावे पर अडिग रहने के लिए किसी ने सलाह दिया हो। यह सच हो सकता है कि मुकदमेबाजी के दौर थे, लेकिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता के दावे को ऐसे विलंब से आच्छादित नहीं कहा जा सकता है जो उसे और उसके परिवार को अपीलकर्ता की एक स्वीपर के रूप में नियुक्ति की राहत से वंचित कर सके, एक ऐसा अधिकार जो कानूनी नियम के तहत दिया गया है।

13. ऐसी परिस्थितियों में, अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और हम प्रतिवादी नं. 3 –जिला पंचायत राज अधिकारी,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश को निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को स्वीपर के पद पर नियुक्त करें। अपीलकर्ता की नियुक्ति का आवश्यक आदेश इस निर्णय की प्रति के पेश किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दे रहे हैं।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

.....

[न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ]

.....

[न्यायमूर्ति हृषिकेष रॉय]

नई दिल्ली

02 अगस्त, 2022

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।